संख्याः—470 / XXVII (1) / 2011

प्रेषक,

आर.सी.अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—1 देहरादूनः: दिनांकः 08 :अगस्त,2011

विषयः— 13वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011—12 की प्रथम किश्त हेतु क्षेत्र पंचायतों को धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त क्षेत्र पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में प्रथम किश्त हेतु कुल धनराशि **₹ 103380000.00 (₹दस करोड़ तैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र)** को संलग्नानुसार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

2— संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नही की जा सकेगी।

3—13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:—

(1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) परिसम्पत्तियों का निर्माण (5) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4—क्षेत्र पंचायतें केवल अन्तरग्रामीण (Inter Village) की योजनाऐं ही चयनित करेंगें।

5—कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6—जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित क्षेत्र पंचायतों को धनराशि चैक / ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

1

7–अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, उत्तरराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। **यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**

8–संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर दिनांक 31 जनवरी, 2012 तक उपलब्ध करायेंगे।

9–संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

10–संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

11–संकमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें–197–विकास खण्ड स्तरीय पंचायत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–13वॉ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

<u>संलग्नक</u>:–यथोक्त।

भवदीय,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या 470 /(XXVII (1)/2011, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
5. निदेशक,पंचायतीराज, उत्तराखण्ड–देहरादून।
6. निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः– 470 /XXVII (1)/2011 दिनांकः 08 :अगस्त,2011 का संलग्नक।
13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत क्षेत्र पंचायतों को वर्ष 2011–12 हेतु देय प्रथम किश्त की धनराशि।

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय प्रथम किश्त
1	2	3
अल्मोड़ा	भैसियाछाना	355
	भिक्यिासैण	527
	चौखुटिया	629
	धौलादेवी	1295
	द्वाराहाट	778
	हवलबाग	720
	लमगड़ा	860
	सल्ट	1107
	स्याल्दे	885
	ताकुला	476
	ताडीखेत	1205
	योगः–	**8837**
बागेश्वर	बागेश्वर	1308
	गरूड़	613
	कपकोट	1210
	योगः–	**3131**
चमोली	दशोली	744
	देवाल	585
	गैरसैण	1153
	घाट	541
	जोशीमठ	1615
	कर्णप्रयाग	988
	नारायणबगड़	547
	पोखरी	658
	थराली	529
	योगः–	**7360**
चम्पावत	बाराकोट	330
	चम्पावत	1327
	लोहाघाट	428
	पाटी	576

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय प्रथम किश्त
1	2	3
	योगः–	**2661**
देहरादून	चकराता	1085
	डोईवाला	1454
	कालसी	1114
	रायपुर	1491
	सहसपुर	1854
	विकासनगर	1476
	योगः–	**8474**
हरिद्वार	बहादराबाद	4082
	भगवानपुर	2153
	खानपुर	663
	लक्सर	1304
	नारसन	1834
	रुड़की	1583
	योगः–	**11619**
नैनीताल	बेतालघाट	649
	भीमताल	519
	धारी	324
	हल्द्वानी	1623
	कोटाबाग	521
	ओखलकाण्डा	851
	रामगढ़	566
	रामनगर	829
	योगः–	**5882**
पौड़ी	बीरोंखाल	1611
	दुगड्डा	3187
	द्वारीखाल	1953
	एकेश्वर	978
	कल्जीखाल	1253
	खिर्सू	665
	कोट	914
	लैंसडाऊन	1267
	नैनीडांडा	1598
	पाबो	1295
	पौड़ी	806

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय प्रथम किश्त
1	2	3
	पोखड़ा	649
	रिखणीखाल	1194
	थलीसैण	2183
	यमकेश्वर	1977
	योगः–	**21530**
पिथौरागढ़	बेरीनाग	1023
	धारचूला	1480
	डीडीहाट	414
	गंगोलीहाट	1227
	कनालीछीना	573
	मुनाकोट	606
	मुनस्यारी	1684
	पिथौरागढ़	583
	योगः–	**7590**
रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	1615
	जखोली	799
	ऊखीमठ	838
	योगः–	**3252**
टिहरी गढ़वाल	भीलंगना	2750
	चम्बा	743
	देवप्रयाग	887
	जाखणीधार	587
	जौनपुर	1207
	कीर्तिनगर	551
	नरेन्द्रनगर	662
	प्रतापनगर	644
	थौलधार	592
	योगः–	**8623**
ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	924
	गदरपुर	763
	जसपुर	867
	काशीपुर	661
	खटीमा	2246
	रूद्रपुर	918
	सितारगंज	2359

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय प्रथम किश्त
1	2	3
	योगः–	**8738**
उत्तरकाशी	भटवाडी	1063
	चिन्यालीसौड	638
	डुण्डा	740
	मोरी	874
	नौगॉव	2005
	पुरोला	363
	योगः–	**5683**
	महायोगः–	**103380**

(₹ दस करोड़ तैतीस लाख अस्सी हजार मात्र)

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।